The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). Yes, Sir. A proposal received from the sugar industry in this regard is under consideration of the Government.

बस दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को प्रतिकर

319. **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री ओ० प्र० त्यागी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को प्रतिकर दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बस-दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को कोई प्रतिकर नहीं दिया जाता;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(घ) बस दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को पर्याप्त प्रतिकर देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) जी हां ।

(ख) से (घ). सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों या उनके कानूनी हकदारों को क्षतिपूर्ति की अदायगी सुनिश्चित करने के लिये मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 के अध्याय 8 में अन्य पक्ष जोखिम के लिये मोटर गाड़ियों का अनिवार्य बीमा कराने की व्यवस्था है । यह उन्हीं मामलों के लिये है, जिनमें सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा उनके हक में डिग्री दे दी गई हो या मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति पंचाट दे दिया गया हो ;

Report of Agricultural Prices Commission on Wheat Policy

*320. **Shri D. C. Sharma:**
Shri Yashpal Singh:
Shri S. C. Samanta:
Shrimati Tarkeshwari Sinha:
Shri R. S. Vidyarthi:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Sharda Nand:
Shri D. N. Patodia:
Shri R. Barua:
Shri C. C. Desai:
Shri Y. A. Prasad:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the recommendations made by the Agricultural Prices Commission in its report on wheat policy for the 1967-68 season;

(b) the recommendations accepted by Government and the steps taken to implement them; and

(c) the recommendations not accepted by Government together with the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) A statement is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-527/67].

(b) and (c). A statements is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-528/67].

भूमि अधिग्रहण विधियों के अध्ययन के लिये समिति

*321. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रणधीर सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी विधियों पर विचार करने के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित करने का निर्णय किया है ;